

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 16, मंगलवार, शाके 1947- जनवरी 06, 2026 Pausa 16, Tuesday, Saka 1947- January 06, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 27 अगस्त, 2025

जी.एस.आर.63.- राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम सं. 22) की धारा 102 के साथ पठित धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा राजस्थान राज्य राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2015 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य राजमार्ग (दरों का अवधारण और संग्रहण) (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 4 का संशोधन.-** राजस्थान राज्य राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2015 के नियम 4 के विद्यमान उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(5) द्रुतमार्ग के उपयोग के लिए फीस की दर उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दर का 1.25 गुना या ऐसी जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, जो उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दर के दो गुना से अधिक नहीं होगी, जो भी अधिक हो, होगी।

(5क) एकल संरचना के साथ-साथ रेखीय द्रुतमार्ग का भाग बनने वाली संरचना के उपयोग के लिए फीस की दर की गणना संरचना की लंबाई को दस के घटक द्वारा गुणा करने के द्वारा द्रुतमार्ग को लंबाई के बराबर में संपरिवर्तित करने के द्वारा की जायेगी:

परन्तु किसी रेखीय द्रुतमार्ग पर 60 मीटर या कम की लंबाई की संरचना को फीस की गणना के लिए द्रुतमार्ग की सामान्य लंबाई के रूप में समझा जायेगा।"

[सं.:14(2)/पीडब्ल्यू/2025]

राज्यपाल के आदेश से,

बाल मुकुंद असावा,

संयुक्त शासन सचिव।